संख्या:-68/2025/आई900929/90आ0-23-5002-002-17-2025
(कम्प्यूटर सं0-1906065)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-12 "कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट के निर्माणाधीन सर्किट हाउस में फर्नीचर आदि के कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-12 "कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट के निर्माणाधीन सर्किट हाउस हेतु फर्नीचर आदि के कार्य हेतु शासनादेश सं0-57/2024/आई558351/001-295-23-5002-002-39-2024-05(भवन)/2024, दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि, लखनऊ के निवर्तन पर उक्त लेखाशीर्षक में रखी गयी धनराशि के सापेक्ष प्राप्त कुल आगणन लागत **रू0 106.51 लाख (रू0 एक करोड़ छः लाख इक्यावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत
1	2	3	4	5
				(धनराशि लाख रू0 में)
1	888बीजीबी/112बीजीबी/चित्रकूटधाम बांदा(3699)/अना0/2024-25, दिनांक 28.01.2025	चित्रकूट	चित्रकूट के निर्माणाधीन सर्किट हाउस हेतु फर्नीचर आदि का कार्य।	106.51
			कुल योग :-	**106.51**

1- प्रश्नगत कार्य हेतु क्रय किये जाने वाले सामान सम्बन्धित मण्डलायुक्त की संस्तुति प्राप्त करते हुए शासन स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही क्रय किये जायेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

6- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

10- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग निर्धारित बजटीय सीमा में किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:-68/2025/आई900929/90आ0(1)-23-5-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी चित्रकूट।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, लो0नि0वि0, बांदा।
11- अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लो0नि0वि0, बांदा।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, बांदा।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in